

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक 4(5)ग्रावि/नरेगा/अल./08-09

जयपुर, दिनांक:-

26 AUG 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
अलवर, राजस्थान।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने के क्रम में।

प्रसंग:- आपका कार्यालय पत्रांक नरेगा/आईईसी/53 दिनांक 21.07.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक जे-1101/18/2007-नरेगा मार्च, 2009 के द्वारा प्रशासनिक मद में व्यय राशि को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किये जाने का निर्णय किया गया है। राशि में वृद्धि मुख्यतः विभिन्न स्तरों पर core professional staff के नियोजन तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के कार्यों, जनअभाव निराकरण, सामाजिक अंकेक्षण एवं कार्यों की गुणवत्ता सुधार हेतु की गई है। शेष मदों में राशि का व्यय विभाग द्वारा दि. 11.11.08 को जारी निर्देशानुसार ही किया जा सकेगा।

भवदीय,

26/8/09

(राम निवास मेहता)

परियोजना निदेशक, ईजीएस

Copy to all other D P Cs (District  
Collectors)